


रामनिवास वादी
बनाम
ज्ञानादेवी वगैरह (प्रतिवादी)
दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन
-:: निर्णय ::-

दिनांक : 01.07.2024

न्यायालय हाजा द्वारा 446/2022 उनवान रामनिवास वगै0 बनाम श्रीमती ज्ञानादेवी में वाद वादी दिनांक 16.05.2024 को प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार गण्डावा को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारण की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने वाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार गण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू अ./2024/954 दिनांक 01.07.2024 प्रस्तुत करने पर बहरा विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी पक्षकारण द्वारा सहमति जाहिर की गई। फलस्वरूप वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम चन्द्रपुरा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 2.47 हैक्टर, 5 रकबा 0.17 हैक्टर, ख.न. 06 रकबा 0.05 हैक्टर, ख.न. 07 रकबा 2.25 हैक्टर, ख.न. 16 रकबा 2.25 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	ग्याना देवी पत्नी दशरथ सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ हिस्सा 2/3, सुमेर सिंह पुत्र दशरथ सिंह हिस्सा 1/3 राहिन बीआरकेजीवी शाखा नूआं याग-	5 6 7/1	0.17 0.05 2.135	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2
	याग-	किता 03	2.35	
2	रामप्रताप, वजरंग, परमेश्वरी बनारसी पिता भोमाराम हिस्सा 4/6, मुकेश, राजकुमार, नवीन पुत्रगण सुगनी देवी हिस्सा 1/6, रोशनी देवी पत्नी गुलाराम हिस्सा 1/12 राहुल पुत्र गुलाराम हिस्सा 1/12 याग-	16 1/2 7/3	2.195 0.11 0.055	बारानी 1 बारानी 2 बारानी 1
	याग-	किता 02	2.36	
3	समोद देवी पत्नी लादुराम हिस्सा 1/6, रामनिवास, सुरेश, विमला, तारामणी, मैन कुमारी, पुत्र पुत्रिया लादुराम हिस्सा 5/6	1/1	2.36	बारानी 1 1.47 बारानी-2 0.89
4	ग्याना देवी पत्नी दशरथ सिंह हि0 1/9, रामप्रताप वजरंग, परमेश्वरी, बनारसी, हिस्सा 4/18, मुकेश, राजकुमार, नवीन पुत्रगण सुगनी देवी हिस्सा 1/18 रोशनी देवी पत्नी गुलाराम हि0 1/36 राहुल पुत्र गुलाराम हि0 1/36 समोद देवी पत्नी लादुराम हि0 1/18 रामनिवास, सुरेश, विमला, तारामणी, मैन कुमारी हिस्सा 5/18 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार याग	7/2 16/2	0.065 0.055	
	याग	किता 02	0.12	


उपखण्ड अधिकारी
हाजावा

तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर
राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप वटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद
किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान्
अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से
कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11/07/2024 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)

उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
जिला झुन्डुनू

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:- सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा वाकत घोषणार्थ एवं वंटवारा
अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :- 1. :- 446/2022 उनवान रामनिवास वगै0 बनाम श्रीमती ज्ञानादेवी

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कर्तई रूवरू, सुप्रिया(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा वहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव मुददई रूवरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुददालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.07.2024 निर्णय वाद वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजख ग्राम ग्राम चन्द्रपुरा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 रकवा 2.47 हैक्टर, 5 रकवा 0.17 हैक्टर, ख.न. 06 रकवा 0.05 हैक्टर, ख.न. 07 रकवा 2.25 हैक्टर, ख.न. 16 रकवा 2.25 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टर में)	भूमि किसम
1	ग्याना देवी पत्नी दशरथ सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ हिस्सा 2/3, सुमेर सिंह पुत्र दशरथ सिंह हिस्सा 1/3 राहिन वीआरकेजीवी शाखा नूआं	5	0.17	वारासी 2
		6	0.05	वारासी 2
		7/1	2.135	वारासी 2
		किता 03	2.35	
योग-				
2	रामप्रताप, बजरंग, परमेश्वरी बनारसी पिता भोमाराम हिस्सा 4/6, मुकेश, राजकुमार, नवीन पुत्रगण सुगनी देवी हिस्सा 1/6, रोशनी देवी पत्नी गुलाराम हिस्सा 1/12 राहुल पुत्र गुलाराम हिस्सा 1/12	16	2.195	वारासी 1
		1/2	0.11	वारासी 2
		7/3	0.055	वारासी 1
योग-				
3	समोद देवी पत्नी लादुराम हिस्सा 1/6, रामनिवास, सुरेश, विमला, तारामणी, मेन कुमारी, पुत्र पुत्रिया लादुराम हिस्सा 5/6	किता 02	2.36	वारासी 1
		1/1	2.36	1.47 वारासी-2 0.89
4	ग्याना देवी पत्नी दशरथ सिंह हि0 1/9, सुमेर सिंह पुत्र दशरथ सिंह हि0 1/9 राहिन वीकेराजीवी शाखा नूआं, विजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/9, रामप्रताप, बजरंग, परमेश्वरी, बनारसी, हिस्सा 4/18, मुकेश, राजकुमार, नवीन पुत्रगण सुगनी देवी हिस्सा 1/18 रोशनी देवी पत्नी गुलाराम हि0 1/36 राहुल पुत्र गुलाराम हि0 1/36 समोद देवी पत्नी लादुराम हि0 1/18 रामनिवास, सुरेश, विमला, तारामणी, मेन कुमारी हिस्सा 5/18 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार	7/2	0.065	
		16/2	0.055	
		किता 02	0.12	
योग				

तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताविक निर्णय राजख रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लेण्ड रेकार्ड रूत्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप वटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।
वसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.07.2024 को जारी की गई।

सुप्रिया (R. ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा